संख्या- 46 / 2016 / 197 /चार-2016-189 (बजट)/2013 टीसी

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय,
छतर मंजिल परिसर, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 02 मार्च ,2016

विषय:- राज्य संरक्षित छतर मंजिल को पर्यटन एवं सांस्कृतिक संकुल के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रथम चरण में छतर मंजिल के अनुरक्षण एवं परिरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संरक्षित छतर मंजिल को पर्यटन एवं सांस्कृतिक संकुल के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रथम चरण में छतर मंजिल के अनुरक्षण एवं परिरक्षण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 2074.24 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए कार्य की लागत रू0 1862.39 लाख मूल्यांकित की गयी है ।

उ0प्र0 राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक छतर मंजिल को पर्यटन एवं सांस्कृतिक संकुल के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रथम चरण में छतर मंजिल के अनुरक्षण एवं परिरक्षण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ को नामित किया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रस्तावित 25.00 करोड के अनुमानित व्यय के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ द्वारा छतर मंजिल के अनुरक्षण एवं परिरक्षण कार्य हेतु प्रथम चरण का संशोधित आगणन धनराशि रू0 2074.24 लाख का गठित किया गया है। इस प्रकार राज्य संरक्षित स्मारक छतर मंजिल को पर्यटन एवं सांस्कृतिक संकुल के निर्माण हेतु आगणित लागत रू0 2074.24 लाख के सापेक्ष मूल्यांकन एवं रचना प्रभाग द्वारा मूल्यांकित रू0 1862.39 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति तथा धनराशि रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। प्रश्नगत मदो में वास्तविक व्यय ही देय होगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व निदेशक,पुरातत्व निदेशालय तथा कार्यदायी संस्था का होगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015दिनांक 30 मार्च,2015 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत /कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) कार्यदाय संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव का गठन डी0एस0आर0 वर्ष 2014/बाजार दरों के आधार पर किया गया है। तद्नुसार प्रभाग द्वारा लागत का परीक्षण किया गया है। प्रभाग का सुझाव है कि तकनीकी स्वीकृति हेतु विस्तृत आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची/रेट एनालिसिस के आधार पर ही किया जाय।

(9) प्रायोजनान्तर्गत Red sand stone, Ornament Finail and Chattin, Atactic poly propylene polymer, Reibbed stone flooring , Jaisalmer yellow stone flooring, Heritage floor tiles, Nanakshahi lakhauri bricks जोकि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है , के प्रयोग पर नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। प्रायोजना प्रस्ताव में छतर मंजिल के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक मूल स्वरूप को बनाये रखने हेतु विशिष्टि प्रकृति के कार्य के दृष्टिगत यह परियोजना विशिष्ट श्रेणी में आती है, अत: छतर मंजिल के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए सम्पूर्ण प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव में साइंसटिफिक इन्वेस्टीगेशन एवं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक के मरम्मत एवं फकेड एम्प्रमेन्ट हेतु एकमुश्त धनराशि प्रस्तावित की गयी है। उक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व प्रश्नगत विस्तृत आगणन का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर लिया जाय।

(11) प्रभाग का मत है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय। प्रभाग का यह भी मत है कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो। निदेशक,पुरातत्व निदेशालय द्वारा अपने स्तर यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) कार्यदायी संस्था द्वारा समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को अवगत करायेंगे।

2- प्रश्नगत स्मारक को सिटी म्यूजियम एवं पर्यटक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने की कार्यवाही तीन चरणो में प्रस्तावित की गयी है। इस हेतु प्रथम चरण में रू0 1862.39 लाख की धनराशि अनुमोदित किया गया। उक्त परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से विशेषज्ञ एजेन्सी कन्सलटेन्ट के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

3 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92- के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय -

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -31-छतर मंजिल का अनुरक्षण एवं विकास -24 वृहद निर्माण कार्य के मद के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-168 /दस-2016 ,दिनांक 01 मार्च,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

संख्या - 46 / 2016 / 197 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या-4/3/9/2016सी0एक्स (1) दिनांक 12 फरवरी, 2016 के क्रम में
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6 - महा प्रबन्धक, (ल0अं-2) उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मनोज कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।